न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 123 सन 2018

अनवान :–

1. साहिल पुत्र मदनलाल जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 सुमनलता पत्नि मदनलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. महेन्द्र उर्फ किसनलाल जाति हरलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. हरलाल पुत्र जीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता सायला
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल 1,2

निर्णय दिनांक :– 17/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायला ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 के खसरा न0 93/1.9470 ,94/3.0730 ,95/3.3510 ,96/1.1630 ,171/10.1670 ,172/6.7140 ,173/6.8670 कुल 33.2820हैक में से हरलाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 के खसरा न0 388/5.0590 ,388/466 की 3.7940हैक कुल 8.8530हैक में से हरलाल के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 के खसरा न0 64/12.8520हैक व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 के खसरा न0 23/0.670 ,24/0.6200 ,25/.506 ,102/11.9490 ,269/13.5300 कुल 27.2620हैक मे महेन्द्रसिह के नाम 1/15 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 डीपीएन के खाता संख्या 101/89 के प0न0 399/443(20) के किला न0 1 ता 25/6.1990हैक मु0न0 63/2 की 0.126हैक गै0मु0 खाला कुल 6.3260हैक में से हरलाल के नाम 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त समस्त भूमि जिसमें रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 तथा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की भूमि सायल के पडदादा जीराम के फोत होने के बाद सायल के दादा हरलाल के नाम दर्ज हुई है तथा रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की हरलाल के नाम तथा रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 तथा रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की महेन्द्रसिह के नाम इनकी पुरानी पैतृक भूमि रोही मौजा शंकर मन्दोरी में थी उसकों विक्रय करके महेन्द्रसिह व हरलाल ने अपने नाम करवाई थी इसप्रकार समस्त भूमि सायल की पैतृक भूमि है जिसमें सायल अपने पिता के साथ बहिब का जन्मजात अधिकार है।

सायल की माता सुमनलता की शादी खरसण्डी में गैरसायल न0 3 मदनलाल के साथ हुई थी जिसकेएक सन्तान सायल है जो नाबालिग है गैरसायलान जो लालची किस्म के लोग है वे शादी के बाद से ही सायल की मॉ को दहेज के लिय तंग परेशान करने लगे जिसकी काफी बार पचायत भी हुई लेकिन गैरसायलान बाज नही आये हर रोज सायल की मॉ को मारते पिटतें थे जिससे तगं आकर सायल की माता ने मुकदमा सिविल न्यायालय में कर रखा है इसलिये गैरसायल सायल के हक को हडपनें के लिये उक्त समस्त भूमि बिना की जरूरत के बेचान करने पर उतारू है जबकि सायल का वाद भूमि में हक हिस्सा है जिसकी धोषणा करवाने की अधिकारी है।

सायल नाबालिग है और अपनी माता के साथ रहता है उसके पालन पोषण का कोई सहारा नही है गैरसायल लालचवंश सायल को उसके हकों से महरूम रखने के लिये वाद भूमि को बेचान करने की योजना बना रहे है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गेरसायल न0 1 ,2 को पाबन्द करवानें का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायल ने एक वाद पूर्व में इस्तकरार हक का पेश किया था जो गैरसायलान के कहने पर खारिज करवा लिया किन्तु सायल को उसके हक हिस्सा की भूमि नही दी गई है और वाद भूमि में से चक 12 डीपीएन की भूमि का बेचान भी कर दिया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 में सायल को 1/32 हिस्सा व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 में 1/96 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 में 69 हिस्सा , रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 में 1/10 हिस्सा , व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 में 1/32 हिस्सा भूमि सायल को मदनलाल के साथ बहिब का खातेदार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की 33.2820हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की 8.8530हैक व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की 6.3260हैक में हरलाल पुत्र जीराम के नाम दर्ज समस्त भूमि तथा रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की 12.8520हैक तथा रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 की 27.2620हैक भूमि महेन्द्र उर्फ किसनलाल के नाम दर्ज समस्त भूमि का मौका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की कुल 33.2820हैक भूमि हरलाल गैरसायल न0 2 का 1/6 हिस्सा , रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की कुल 8.8530हैक भूमि गैरसायल न0 2 हरलाल का 1/2 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की 12.8520 है व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 की कुल 27.2620हैक भूमि में प्रार्थी महेन्द्रसिह के नाम 1/15 हिस्सा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/89 की कुल 6.3260हैक भूमि गैरसायल न0 2 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त समस्त भूमि दादालाई नही है रोही मौजा खसरण्डी के खाता संख्या 34/30 की 27.2620हैक में अप्रार्थी का 1/15 हिस्सा जो स्वय की पैदा करदा भूमि है अर्थात स्वय की आय से खरीद की गई है। तथा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की भूमि भी स्वय की आय से खरीदशुद्वा भूमि है रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुद्वा भूमि है इसप्रकार समस्त भूमि दादलाई ना होकर स्वय की आय से खरीदशुद्वा भूमि है।

रोही मौजा खरसण्डी व चक 15 डीपीएन व 12 डीपीएन की भूमि के सम्बध में वाद 47/15 दिनांक 15.06.20018 को खरीज हो चुका है तथा साहिल बनाम हरलाल वाद संख्या 46/2015 दिनांक 15.6.2018 को खारीज हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र 14/15 अनवानी साहिल बनाम हरलाल अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट दिनांक 17.06.2017 को इसी न्यायालय के द्वारा खारिज किये जा चुके है पुनः प्रार्थना पत्र/वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता है।

रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की भूमि स्वय की आय से खरिदशुद्वा भूमि है तथा सायल का कथन है कि कथित शूकर मन्दोरी की भूमि बेय करके खरीद की गई है गलत ब्यानी है जबकि शकूर मन्दोरी हरियाणा की भूमि बैय करने से पूर्व ही उक्त भूमि खरीद की गई है शकुर मन्दोरी की भूमि 2008 में बेचान की गई है समस्त बैयनामें वर्ष 2008 से पूर्व के है इसलिये सायल के पास दादालाई भूमि होने का कोई साक्ष्य नही हैं।

शकूर मन्दोरी की भूमि वर्ष 2008 में बेचान की गई थी जिससे सायल की माता के साथ अपने लडके की शादी पर दान दहेज दिया था जो सायल की माता को गहने आदि करवाये गये थे।

सायल की माता सुमनलता ने सिविल न्यायालय में फोजदारी मुकदमें कर रखे है जबकि सायला की माता को दान दहेज के लिये कभी भी तग परेशान नही किया गया है आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र अपने साथ बसाने के लिये तैयार है सायल व उसकी माता ने भरण पोषण की राशी आज भी प्राप्त कर रही है सायला ने बहकावें में आकर पुनः वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

गैरसायल न0 1 ,2 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व सायल स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने भूमि सुधार के लिये कृषि ऋण के लिये आईसीआईसी बैक से ऋण हेतु आवेदन किया जो स्वीकार होकर 61(1) जारी होकर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दिनांक 15.10.2018 को रहन दर्ज हो चुका है सायल ने स्थगन प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण का कृषि ऋण स्वीकृत होने से रूकवा दिया है रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 में आईसीआईसी बैक के रहन है स्थगन के कारण ऋण प्राप्त नही हो पा रहा है सायल जानबुझकर तगं परेशान करके गैरसायलान को ऋण स्वीकृत नही होने दे रहे है इसलिये का प्रार्थना पत्र क्लीन हेण्ड से नही है।

सायल का वाद भूमि पर कब्जा नही कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है स्वय अर्जित भूमि को दादालाई का कथन कर मिथ्या मनगंढत तथ्य दर्ज किया है सायल ने हिस्सा कस्सी भी गलत तौर से दर्ज की गई है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 के खसरा न0 93/1.9470 ,94/3.0730 ,95/3.3510 ,96/1.1630 ,171/10.1670 ,172/6.7140 ,173/6.8670 कुल 33.2820हैक में से हरलाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 के खसरा न0 388/5.0590 ,388/466 की 3.7940हैक कुल 8.8530हैक में से हरलाल के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 के खसरा न0 64/12.8520हैक व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 के खसरा न0 23/0.670 ,24/0.6200 ,25/.506 ,102/11.9490 ,269/13.5300 कुल 27.2620हैक मे महेन्द्रसिह के नाम 1/15 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 डीपीएन के खाता संख्या 101/89 के प0न0 399/443(20) के किला न0 1 ता 25/6.1990हैक मु0न0 63/2 की 0.126हैक गै0मु0 खाला कुल 6.3260हैक में से हरलाल के नाम 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त समस्त भूमि जिसमें रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 तथा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की भूमि सायल के पडदादा जीराम के फोत होने के बाद सायल के दादा हरलाल के नाम दर्ज हुई है तथा रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की हरलाल के नाम तथा रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 तथा रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की महेन्द्रसिह के नाम इनकी पुरानी पैतृक भूमि रोही मौजा शंकर मन्दोरी में थी उसकों विक्रय करके महेन्द्रसिह व हरलाल ने अपने नाम करवाई थी इसप्रकार समस्त भूमि सायल की पैतृक भूमि है जिसमें सायल अपने पिता के साथ बहिब का जन्मजात अधिकार है।

सायल की माता सुमनलता की शादी खरसण्डी में गैरसायल न0 3 मदनलाल के साथ हुई थी जिसकेएक सन्तान सायल है जो नाबालिग है गैरसायलान जो लालची किस्म के लोग है वे शादी के बाद से ही सायल की मॉ को दहेज के लिय तंग परेशान करने लगे जिसकी काफी बार पचायत भी हुई लेकिन गैरसायलान बाज नही आये हर रोज सायल की मॉ को मारते पिटतें थे जिससे तगं आकर सायल की माता ने मुकदमा सिविल न्यायालय में कर रखा है इसलिये गैरसायल सायल के हक को हडपनें के लिये उक्त समस्त भूमि बिना की जरूरत के बेचान करने पर उतारू है जबकि सायल का वाद भूमि में हक हिस्सा है जिसकी धोषणा करवाने की अधिकारी है।

सायल नाबालिग है और अपनी माता के साथ रहता है उसके पालन पोषण का कोई सहारा नही है गैरसायल लालचवंश सायल को उसके हकों से महरूम रखने के लिये वाद भूमि को बेचान करने की योजना बना रहे है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गेरसायल न0 1 ,2 को पाबन्द करवानें का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की कुल 33.2820हैक भूमि हरलाल गैरसायल न0 2 का 1/6 हिस्सा , रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की कुल 8.8530हैक भूमि गैरसायल न0 2 हरलाल का 1/2 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की 12.8520 है व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 की कुल 27.2620हैक भूमि में प्रार्थी महेन्द्रसिह के नाम

1/15 हिस्सा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/89 की कुल 6.3260हैक भूमि गैरसायल न0 2 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त समस्त भूमि दादालाई नही है रोही मौजा खसरण्डी के खाता संख्या 34/30 की 27.2620हैक में अप्रार्थी का 1/15 हिस्सा जो स्वय की पैदा करदा भूमि है अर्थात स्वय की आय से खरीद की गई है। तथा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की भूमि भी स्वय की आय से खरीदशुद्वा भूमि है रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुद्वा भूमि है इसप्रकार समस्त भूमि दादलाई ना होकर स्वय की आय से खरीदशुद्वा भूमि है।

रोही मौजा खरसण्डी व चक 15 डीपीएन व 12 डीपीएन की भूमि के सम्बध में वाद 47/15 दिनांक 15.06.20018 को खरीज हो चुका है तथा साहिल बनाम हरलाल वाद संख्या 46/2015 दिनांक 15.6.2018 को खारीज हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र 14/15 अनवानी साहिल बनाम हरलाल अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट दिनांक 17.06.2017 को इसी न्यायालय के द्वारा खारिज किये जा चुके है पुनः प्रार्थना पत्र/वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता है।

रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की भूमि स्वय की आय से खरिदशुद्वा भूमि है तथा सायल का कथन है कि कथित शूकर मन्दोरी की भूमि बेय करके खरीद की गई है गलत ब्यानी है जबकि शकूर मन्दोरी हरियाणा की भूमि बैय करने से पूर्व ही उक्त भूमि खरीद की गई है शकुर मन्दोरी की भूमि 2008 में बेचान की गई है समस्त बैयनामें वर्ष 2008 से पूर्व के है इसलिये सायल के पास दादालाई भूमि होने का कोई साक्ष्य नही हैं।

शकूर मन्दोरी की भूमि वर्ष 2008 में बेचान की गई थी जिससे सायल की माता के साथ अपने लडके की शादी पर दान दहेज दिया था जो सायल की माता को गहने आदि करवाये गये थे।

सायल की माता सुमनलता ने सिविल न्यायालय में फोजदारी मुकदमें कर रखे है जबकि सायला की माता को दान दहेज के लिये कभी भी तग परेशान नही किया गया है आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का पुँत्र अपने साथ बसाने के लिये तैयार है सायल व उसकी माता ने भरण पोषण की राशी आज भी प्राप्त कर रही है सायला ने बहकावें में आकर पुनः वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

गैरसायल नं0 1 ,2 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व सायल स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने भूमि सुधार के लिये कृषि ऋण के लिये आईसीआईसी बैक से ऋण हेतु आवेदन किया जो स्वीकार होकर 61(1) जारी होकर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दिनांक 15.10.2018 को रहन दर्ज हो चुका है सायल ने स्थगन प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण का कृषि ऋण स्वीकृत होने से रूकवा दिया है रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 में आईसीआईसी बैक के रहन है स्थगन के कारण ऋण प्राप्त नही हो पा रहा है सायल जानबुझकर तगं परेशान करके गैरसायलान को ऋण स्वीकृत नही होने दे रहे है इसलिये का प्रार्थना पत्र क्लीन हेण्ड से नही है।

सायल का वाद भूमि पर कब्जा नही कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है स्वय अर्जित भूमि को दादालाई का कथन कर मिथ्या मनगंढत तथ्य दर्ज किया है सायल ने हिस्सा कस्सी भी गलत तौर से दर्ज की गई है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की वादभूमि दादालाई है या नही एवं दादालाई भूमि की आय से खरीद की गई है या नही एवं वाद भूमि में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की कुल 33.2820हैक भूमि हरलाल गैरसायल न0 2 का 1/6 हिस्सा , रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की कुल 8.8530हैक भूमि गैरसायल न0 2 हरलाल का 1/2 हिस्सा व रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की 12.8520 है व रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 की कुल 27.2620हैक भूमि में प्रार्थी महेन्द्रसिह के नाम 1/15 हिस्सा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/89 की कुल 6.3260हैक भूमि गैरसायल न0 2 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बतौर खातेदार

काश्तकार दर्ज है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने कारण सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसालयलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि दादालाई भूमि को बेचान कर उसकी आय से वाद भूमि खरीद की गई है इसलिये दादालाई सम्पति है सायल ने अपने उक्त कथनों के समर्थन हरियाणा की भूमि बेचान की जमाबन्दीया प्रस्तुत की गई जिसका विवेचन वाद में किया जाना है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार सायल ने वाद/प्रार्थना पत्र पूर्व में इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो खारिज किया गया था सायल ने पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किन्तु वर्तमान प्रार्थना पत्र एवं पुर्व प्रार्थना पत्र में भिन्नता है क्योकि पूर्व प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण भूमि का विवरण अंकित नही होने के कारण पूनः सम्पूर्ण भूमि का विवरण व साक्ष्य के साथ पेश किया गया है। वादी ने पूर्व वाद इस आश्य के साथ विड्रा किया गया था कि वह नये संशोधन के साथ पुन वाद पेश कर सकता है न्यायालय के द्वारा वादी के वाद को पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया गया था। सायल को पुनः वाद न्यायालय में पेश करने की अनुमति है ।

सहवन से यदि पूर्व में किसी साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहने के कारण यदि प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाता है तो वह पूनः सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ पूनः प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो मात्र इस आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नही है कि वह पूर्व में निस्तारण किया गया है प्रार्थी को न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है।

सायल वाद भूमि को दादालाई का कथन कर अपने हक हिस्सा की मांग कर रहा है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होगा कि सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही ।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज है जिससे भूमि का बेचान किये जाने की सम्भावना है सायल के हकों के निर्धारण से पूर्व यदि भूमि बेचान होती है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी ना की गैरसायल को अतः अपूर्णीयक्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 12.10.2018 को रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/130 की 33.2820हैक रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 362/311 की 8.8530हैक व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 101/84 की 6.3260हैक रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 127/116 की 12.8520हैक रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 34/30 की 27.2620हैक जो गैरसायलान न0 1 ,2 के नाम दर्ज है पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1-7/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)